न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः हरि मोहन मीना, I.A.S.

प्रकरण संख्या –7 / 2014 (प्रार्थना पत्र)

जी.सी.एम.एस नं0– 2014 / 00084

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा।

---प्रार्थी.

बनाम

मृतक सूरजमल पुत्र गौरीशंकर गुर्जर निवासी कसार तहसील लाडपुरा जिला कोटा जरिये कायम मुकमान–

1. **रूकमणी बाई पत्नि स्व0 सूरजमल**
2. **राधेरानी पुत्री स्व0 सूरजमल**
3. **विनोद कुमार पुत्र स्व0 सूरजमल**
   जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम कसार तहसील लाडपुा जिला कोटा

--अप्रार्थी.

उपस्थित–

1. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभषक
2. श्री संजय शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक –27 / 06 / 2022

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी आवंटी को ग्राम कसार स्थित खसरा नम्बर 617 रकबा 1.00 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत दिनांक 20.7.2002 को आवंटन किया गया था, उक्त आवंटन के विरूद्व शिकायत होने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा की जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि की आवंटन हेतु उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा जारी उद्घोषणा में खसरा नम्बर 617मि. के आगे 'उद्योग हेतु प्रस्तावित'' अंकित किया जाने पर भी अप्रार्थी के हक में आवंटन किया गया था । उक्त आवंटन अति0 जिला कलक्टर कोटा की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 18 / 2002 निर्णय दिनांक 25.01.2003 से निरस्त किया गया ।
2. उक्त आदेश दिनांक 25.01.2003 के विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की गई, राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.11.2005 से अपील खारिज की जाकर न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 25.01.2003 बहाल रखा गया ।
3. राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय के विरूद्व अप्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की गई, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील संख्या एलआर / 6039 / 2005 / निर्णय दिनांक 05.10.2009 से अपील आंशिक स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राध्किारी कोटा का निर्णय दिनांक 17.11.2005 एवं इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.01.2003 अपास्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है कि वह उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा जारी की गयी उद्घोषणा से सम्बन्धित मूल पत्रावली एवं अपीलार्थी के आवंटन से सम्बन्धित मूल पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए यह पुनः विचार करेंगे कि अतिरिक्त जिला कलक्टर ने जो रिपोर्ट दी है वह उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप अथवा विपरीत दी है तथा वास्तव में अपीलार्थी को जो आराजी आवंटित हुई है वह आवंटन नियमों एवं सार्वजनिक हित के विपरीत आवंटित की गई है एवं क्या वास्तव में आवंटित वादग्रस्त आराजी को उद्घोषणा जारी करने से पूर्व अन्य प्रयोजनार्थ आरक्षित रखी गयी थी अथवा नहीं और यदि रखी गयी थी तो क्या वर्तमान में भी ऐसे आरक्षण की सार्थकता एवं आवश्यकता है अथवा नहीं तथा क्या

जिला कलेक्टर
कोटा

अपीलार्थी को विवादित आराजी निष्पक्ष एवं विधि सम्मत तरीके से आवंटित हुई थी अथवा नहीं ? इन बिन्दुओं पर विधि सम्मत तरीके से विचार कर नये सिरे से नियमानुसार निर्णय पारित करेंगे ।

4. प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने पर दिनांक 21.01.2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री संजय शर्मा उपस्थित । सम्बन्धित आवंटन पत्रावली एवं उद्घोषण की मूल पत्रावली तलबी हेतु तहसीलदार लाडपुरा एवं उपखण्ड अधिकारी को कई पत्र प्रेषित किये गये, किन्तु उक्त पत्रावलियां उपलब्ध नहीं हो सकी किन्तु ग्राम कसार में हुए आवंटन से सम्बन्धित शिकायत की अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा की गई जांच की पत्रावली प्राप्त हुई ।

5. तहसीलदार लाडपुरा से वर्तमान कब्जा सम्बन्धी मौका रिपोर्ट रेकार्ड के साथ प्राप्त की गई । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने पत्रांक/4014 दिनांक 13.5.2022 से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी सूरजमल को दिनांक 20.7.2002 को ग्राम कसार के ख0नं0 617 मी. रकबा 5.10. हे0 भूमि किस्म बंजड में से 1.00 है0 भूमि का आवंटन किया गया था भूमि आवंटन सम्बन्धी उद्घोषणा उपखण्ड अधिकारी कोटा के पत्रांक पीए/आवंटन/24–34 दिनांक 2.7.2002 को जारी की गई थी । दिनांक 2.7.2002 को जारी उद्घोषणा के कम सं0 59 पर ख0नं0 617 मी0 के समक्ष उद्योग हेतु प्रस्तावित शब्द अंकित है । मुताबिक राजस्व रिकार्ड वर्तमान में ग्राम कसार के ख0नं0 617 तीन भागों में विभक्त है, खसरा नम्बर 617,617/1, 617/2 दर्ज रिकॉर्ड है । खसरा नम्बर 617 रकबा 0.96 हे0 किस्म गै.मु. उद्योग खातेदार मैसर्स एल टी सी कॉमर्शियल कंपनी प्रा.लि. जर्ये निदेशक राजेश शर्मा पुत्र ताराचन्द शर्मा जाति ब्राह्मण नि0 बी 92 समता नगर बीकानेर दर्ज है । खसरा नं0 617/1 रकबा 1.12 हे0 किस्म गै.मु. उद्योग खातेदार ताराचन्द शर्मा निदेशक सारस्वत एग्रो कौम प्रा.लि. 23 न्यू धानमण्डी रायसिंह नगर श्री गंगानगर दर्ज रिकार्ड है । इसी प्रकार ख0नं0 617/2 रकबा 3.98 हे0 किस्म बंजड राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित दर्ज रिकॉर्ड है । उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी कोटा के आदेश कमांक राजस्व अभियान/केम्प कसार/1772 दिनांक 3.12.2010 से राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई है । खसरा नम्बर 617 रकबा 0.96 हे0 किस्म गै0मु0 उद्योग खातेदार मैसर्स एल.टी.सी. कॉमर्शियल कम्पनी प्रा. लि.जर्ये निर्देशक सारस्वत एग्रो कोम प्रा.लि. 23 न्यू धानमण्ड रायसिंह नगर श्रीगंगानगर दर्ज रिकार्ड है । वर्तमान में मौके पर ख0नं0 617, 617/1 पर वेयर हाउस बने हुए है एवं पक्की चार दिवारी की हुई है । खसरा संख्या 617/2 जो कि राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित दर्ज रिकॉर्ड है मौके पर भूमि खाली पडी हुई है आवंटी द्वारा पत्थर कोट किया हुआ है । भूमि काश्त नहीं की जा रही है । भूमि पर कृषि उपयोग व उपभोग न होने से कृषि प्रयोजन आवंटन नियमान्तर्गत नहीं है । ख0नं0 617/2 से 02 कि.मी. की दूरी पर गोयल प्रोटीन्स लि0 उद्योग स्थित / संचालित है । यानि भूमि औद्योगिक क्षेत्र से प्रभावित है । इसलिए उक्त आवंटन विधि सम्मत नहीं है ।

6. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम कसार में स्थित भूमियों का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पत्रांक/पीए/आवंटन/24–33 दिनांक 2.7.2002 को उद्घोषण जारी की गई थी तथा आवंटन हेतु उपलब्ध भूमियों की सूची उद्घोषण के संलग्न की गई थी जो पटवारी हल्का द्वारा हस्तलिखित थी उक्त सूची में खसरा नम्बर 617 के आगे "उद्योग हेतु प्रस्तावित" लिखा हुआ था जिस कारण जांच अधिकारी अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में यह माना है कि उक्त लिखावट "उद्योग हेतु प्रस्तावित" के कारण अप्रार्थी के अलावा अन्य लोगों ने उक्त खसरा नम्बर के आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया, इसके बाद भी आवंटन कमेटी द्वारा उक्त लिखावट को नजर अंदाज कर गलत तरीके से आवंटन कर दिया उक्त आवंटन प्रारम्भ से ही दूषित होने से निरस्त योग्य ही है । तहसीलदार लाडपुरा की वर्तमान मौका रिपोर्ट दिनांक 13.05.2022 अनुसार मौके पर खसरा नम्बर 617/2 जो कि राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित दर्ज रिकॉर्ड है मौके पर भूमि खाली पडी हुई है, आवंटी द्वारा पत्थर कोटा किया हुआ है किन्तु मौके पर काश्त नहीं की जा नहीं है । ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन विधि सम्मत नहीं है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

7. वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी को कृषि कार्य के लिए उक्त भूमि का आवंटन नियमानुसार उद्घोषणा जारी की जाने पर आवंटन कमेटी द्वारा किया गया था, उक्त भूमि जांच के दौरान उद्घोषण में पटवारी हलका द्वारा खसरा नम्बर 1480 के समक्ष उद्योग हेतु प्रस्तावित लिखा जाने मात्र से जांच अधिकारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर आवंटन निरस्त किया गया है, न्यायालय जिला कलक्टर कोटा के निर्णय दिनांक 25.01.2003 से आवंटन निरस्त करने के बाद उपखण्ड अधिकारी कोटा के आदेश कमांक/राजस्व अभियान/केम्प कसार/1772 दिनांक 3.12. 2010 से राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई । उक्त भूमि वर्तमान में भी अप्रार्थी के कब्जे में है । उक्त भूमि पर एवं आस पास आज भी कोई उद्योग नहीं है अपितु आस पास कृषि कार्य हो रहा है । अतः राजस्व मण्डल अजमेर के रिमाण्ड के बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी को किया गया आवंटन पुनः बहाल फरमाया जावें । ताकि भूमि पर कृषि कार्य किया जा सकें ।

8. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, एवं पत्रावली का अवलोकन किया । राजस्व मण्डल के रिमाण्ड के बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया । चूंकि ग्राम कसार में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन हेतु उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा कमांक/पीए/आवंटन/24–34 दिनांक 2.7.2002 से उद्घोषणा जारी की गई, उक्त उद्घोषणा में आवंटन हेतु उपलब्ध भूमियों का विवरण अंकित नहीं किया गया था उद्घोषणा के साथ हस्तलिखित सूची संलग्न की गई थी, उक्त उद्घोषणा की सूची में उक्त खसरा नम्बर 617मि. के समक्ष ''उद्योग हेतु प्रस्तावित'' अंकित किया हुआ था, नियमानुसार उद्घोषणा मय सूची का प्रकाशन सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाशन कराया गया । किन्तु वक्त आवंटन के आवंटन नियमन कमेटी द्वारा उक्त उद्घोषणा एवं सूची को नहीं देखा गया, बिना उद्घोषणा की सूची को देखे ही उक्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी के हक में कर दिया गाया । नियमानुसार तो उसी भूमि की उद्घोषणा होनी चहिए जो निर्विवाद हो, धारा 16 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि नहीं हो, तथा भूमि अन्य प्रयोजनों के लिए आरक्षित या प्रस्तावित नहीं हो, यहां इस प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा दी गई सूची में उपखण्ड अधिकारी द्वारा उद्घोषणा सूची में ''उद्योग हेतु प्रस्तावित'' लिखने के बाद भी आवंटन नियमन कमेटी द्वारा आवंटन कर दिया । जिसकी शिकायत होने पर अति0 जिला कलक्टर कोटा से ग्राम कसार में हुए आवंटन की जांच कराई गई । अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा जांच कर विस्तृत जांच रिपोर्ट अर्द्वशासकीय पत्रांक/पीए/एडीएम/2002/861 दिनांक 21.12.2002 को पेश की गई । जांच रिपोर्ट में तथ्य सामने आए है कि उपखण्ड अधिकारी कोटा ने अपने पत्र कमांक/पीए/आवंटन/24–34 दिनांक 2.7.2002 द्वारा पटवार मण्डल कसार के ग्राम कसार एवं रानक्याखेडी की भूमि आवंटन हेतु उद्घोषणा जारी की थी, जिसमें अन्य नम्बरों के साथ साथ खसरा नम्बर 617, 632, 635, 654, 1427, 1475, 1480, 1539, एवं 1541 की भी उद्घोषणा जारी की गई, इन खसरान के आगे उद्योग हेतु प्रस्तावित होने से इन नम्बरों के बाबत उपखण्ड अधिकारी कोटा ने अपने पत्रांक/पीए/1316 दिनांक 1.6.2002 को जिला कलक्टर कोटा को पत्र लिखकर मार्गदर्शन चाहा था कि इन नम्बरों का आवंटन किया जावे अथवा नहीं? क्योंकि ये नम्बर औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करने बाबत प्रस्ताव भेजे गये है । उपखण्ड अधिकारी कोटा के उपरोक्त पत्र के प्रत्युत्तर में जिला कलक्टर कोटा के कार्यालय पत्रांक प.2 (2क) (9) राज0 / मु0 / ।। /02/4382 दिनांक 15.6.2002 द्वारा स्पष्ट रूप से लिखा गया कि उपरोक्त भूमियों के आरक्षण की कार्यवाही जेरकार है, अतः आगामी आदेश तक इन भूमियों का आवंटन नहीं किया जावें । इस प्रकार आवंटन पर रोक लगाने के बावजूद भी इन ख0नं0 को उद्घोषणा में सम्मिलित कर लिया गया । जिन खसरा नम्बरान के सामने 'उद्योग हेतु प्रस्तावित' लिखा होने से उन खसरा नम्बरान के बारे में अन्य पात्र व्यक्तियों में यह भ्रम हो गया कि इन खसरा नम्बरान का आवंटन नहीं होना है ऐसे में इन खसरा नम्बरान के आवेदन अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जा सके ओर अप्रार्थी को बिना जांचे नियम विरूद्व आवंटन भी कर दिया गया जबकि अप्रार्थी को आवंटित भूमि (उद्योग हेतु प्रस्तावित लिखा जाने से) आवंटन हेतु उपलब्ध ही नहीं थी, ऐसे में हमारा मानना है कि जिन खसरा नम्बरान के आगे ''उद्योग हेतु प्रस्तावित'' लिखा हुआ था वह खसरा नम्बर

जिला कलेक्टर
कोटा

उद्घोषणा का हिस्सा ही नहीं माने जा सकते, फिर भी आवंटन उद्घोषणा में संलग्न सूची में प्रतिबन्धित खसरा नम्बरान जो उद्योग हेतु प्रस्तावित लिखा होने के बावजूद आवंटन कर दिये गये । उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि आवंटन पर रोक होने तथा भूमि के उद्योग हेतु प्रस्तावित होने के कारण इन खसरा नम्बरों को उद्घोषणा में सम्मिलित नहीं करना चाहिए था एवं न ही आवंटन करना चाहिए था । अतः किया गया यह आवंटन अवैध एवं गलत है । ऐसी स्थिति में जांच अधिकारी अति0 जिला कलक्टर कोटा की जांच रिपोर्ट से हम सहमत है ।

राजस्व मण्डल अजमेर के रिमाण्ड के बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए हमने तहसीलदार लाडपुरा से कब्जा एवं मौका स्थिति की रिपोर्ट एवं रेकार्ड तलब किया गया । तहसीलदार लाडपुरा की रिपोर्ट पत्रांक/4016 दिनांक 13.5.2022 अनुसार मुताबिक राजस्व रिकार्ड वर्तमान में ग्राम कसार के ख0नं0 617 मि. तीन भागों में विभक्त है, खसरा नम्बर 617, 617/1, 617/2 दर्ज रिकॉर्ड है । अप्रार्थी आवंटी को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 617 मि. में से रकबा 0.40 हे0 आवंटित किया गया है, खसरा नम्बर 617 एवं 617/1 पर वेयर हाउस बने हुए है तथा खसरा नम्बर 617/2 भूमि किस्म बंजड राजकीय प्रयोजनार्थ दर्ज रेकार्ड है जो उपखण्ड अधिकारी कोटा के आदेश कमांक राजस्व अभियान/केम्प कसार/1772 दिनांक 3.12.2010 से राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई है । ग्राम कसार के ख0नं0 617/2 रकबा 3.98 हे0 किस्म बंजड राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित (धारा 92) ख0नं0 617 रकबा 0.96 हे0 किस्म गै.मु. उद्योग खातेदार मैसर्स एल.टी.सी. कॉमर्शियल कम्पनी प्रा.लि. जर्ये निर्देशक राजेश शर्मा पुत्र ताराचन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी समता नगर बीकानेर दर्ज रिकॉर्ड है । ख0नं0 617/1 रकबा 1.12 है0 किस्म गै.मु. उद्योग खतेदार ताराचन्द शर्मा निदेशक सारस्वत एग्रो कोम प्रा.लि. 23 न्यू धानमण्डी रायसिंह नगर श्री गंगानगर दर्ज रिकार्ड है । वर्तमान में मौके पर ख0नं0 617, 617/1, पर वेयर हाउस बने हुए है एवं पक्की चार दिवारी की हुई है । खसरा नम्बर 617/2 जो कि राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित दर्ज रिकॉर्ड है मौके पर भूमि खाली पड़ी हुई है आवंटी द्वारा पत्थर कोट किया हुआ है । भूमि काश्त नहीं की जा रही है, भूमि पर कृषि उपयोग व उपभोग न होने से कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियमान्तर्गत नहीं है । ख0नं0 617/2 से 2 कि.मी. की दूरी पर गोयल प्रोटीन्स लि0 उद्योग स्थित/संचालित है यानि भूमि औद्योगिक क्षेत्र से प्रभावित है । इस प्रकार उक्त भूमि आवंटन हेतु उद्घोषणा का हिस्सा नहीं होने के बाद भी आवंटन करने से किया गया आवंटन नियम विरूद्व है, एवं वर्तमान में भी उक्त भूमि राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित होकर प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्तनीय है ।

9. परिणामतः उपरोक्त विवेचनानुसार ग्राम कसार में अप्रार्थी आवंटी के हक में किये गये आवंटन खसरा नम्बर 617 मि. कुल रकबा 5.10 हे0 की उद्घोषण के वक्त उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा जारी उद्घोषणा कमांक/ पीए/ आवंटन/24–34 दिनांक 2.7.2002 में आवंटन हेतु उपलब्ध भूमियों की सूची में क0सं0 59 पर अंकित खसरा नम्बर 617मि. कुल रकबा 5.10 हे0 के सामने उद्योग हेतु प्रस्तावित की जाने, तथा उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा उक्त खसरा नम्बरान के आवंटन हेतु जिला कलक्टर कोटा को पत्र कमांक/पीए/1316 दिनांक 1.6.2002 प्रेषित कर मार्गदर्शन चाहा था जिस पर जिला कलक्टर कोटा के कार्यालय पत्रांक प.2 (2क) (9) राज0/ मु0/ ।।/02/4382 दिनांक 15.6.2002 द्वारा स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि उपरोक्त भूमियों के आरक्षण की कार्यवाही जेरकार है, अतः आगामी आदेश तक इन भूमियों का आवंटन नहीं किया जावें इसके बाद भी अप्रार्थी के हक में आवंटन कर दिया गया । उक्त आवंटन प्रारम्भ से ही दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है । इसके साथ ही तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त वर्तमान मौका रिपोर्ट अनुसार रिकार्ड वर्तमान में ग्राम कसार के ख0नं0 617 मि. तीन भागों में विभक्त है, खसरा नम्बर 617, 617/1, 617/2 दर्ज रिकॉर्ड है । अप्रार्थी आवंटी को भूमि आवंटन खसरा नम्बर 617 मि. में से रकबा 0.40 हे0 आवंटित किया गया है, खसरा नम्बर 617 एवं 617/1 पर वेयर हाउस बने हुए है तथा खसरा नम्बर 617/2 भूमि किस्म बंजड राजकीय प्रयोजनार्थ दर्ज रेकार्ड है एवं मौके पर भूमि खाली पड़ी हुई है आवंटी द्वारा पत्थर कोट किया हुआ है । भूमि काश्त नहीं की जा

जिला कलेक्टर कोटा

रही है, भूमि पर कृषि उपयोग व उपभोग न होने से कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियमान्तर्गत नहीं है । ख0नं0 617/2 से 2 कि.मी. की दूरी पर गोयल प्रोटीन्स लि0 उद्योग स्थित/संचालित है यानि भूमि औद्योगिक क्षेत्र से प्रभावित है । अतः अप्रार्थी चौथमल पुत्र लक्ष्मण जाटव निवासी कसार के हक में दिनांक 20.07.2002 को ग्राम कसार स्थित खसरा नम्बर 617 मि. के बट्टे नं0 617/2 रकबा 0.40 हे0 भूमि का किया गया आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है ।

10. निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा